

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] No. 856] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

का.आ. 959(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) के साथ पिठत धारा 4 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1109(अ) तारीख 01 मई, 2013 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (क):

1. डॉ. संतोष पी. मैथ्यू, आईएएस

अध्यक्ष

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ख):

2. रिक्त

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ग):

श्री संजय अवस्थी, आईआरएस

सदस्य सचिव

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (घ):

4. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ड.):

5. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य

सदस्य (पदेन)

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (च):

6. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

सदस्य (पदेन)

 $1695 \text{ GI/}2017 \tag{1}$

धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (छ):				
7. निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ज):				
8. सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (झ):				
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ञ):				
10. वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ट):				
11. सदस्य–सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, दिल्ली	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ठ):				
12. अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर	सदस्य (पदेन)			
ा. 13. अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल	सदस्य (पदेन)			
14. अध्यक्ष, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर	सदस्य (पदेन)			
15. अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर	सदस्य (पदेन)			
धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) का उपखंड (i):	, ,			
16. प्रो. के.एस. लिखिया, कुलपति, चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी, गांधी नगर	सदस्य			
17. डॉ. अजीत कुमार पांडेय, प्राचार्य, पी.बी.टी.टी. कॉलेज, भागलपुर, बिहार	सदस्य			
ा । 18. डॉ. प्रेम नारायण सिंह, प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सम्पूर्णानन्द				
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र.	सदस्य			
19. डॉ. प्रो. रमा मिश्रा, शिक्षा विद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	सदस्य			
धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) का उपखंड (ii):				
20. डॉ. दिलीप मनोहर सेनद, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) एम.एड. कॉलेज (कस्तूरबा शिक्षण महाविद्यालय, बोर्गांव मेघे, वर्धा), फ्लैट न. 204, पी.पी. टॉवर, मनेवाडा चौक, रिंग रोड़, नागपुर	सदस्य			
धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) का उपखंड (iii):				
21. श्रीमती शोभना भिडे, उपाध्यक्ष प्रबंधन बोर्ड एन.एस.पी. मंडल, नासिक तथा उपाध्यक्ष—ध्रुव				
एजुकेशन ट्रस्ट	सदस्य			
22. श्री भरत बगवानजीभाई ढोकई, नियामक, कच्छ कल्याण संघ, गांधीधाम	सदस्य			
23. आशाबेन ठंकी, शिशुवाटिका संयोजक, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान	सदस्य			
धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) का उपखंड (iv):				
24. प्रो. डॉ. मेधा सोमैया, टाटा चेयर प्रोफेसर, टीआईएसएस	सदस्य			
25. श्री मनोज सोनी, पूर्व कुलपति, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद,				
गुजरात	सदस्य			
धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) का उपखंड (v):				
26. श्री मोहन लाल सार, एक प्रख्यात भाषविद् तथा कश्मीरी भाषा विशेषज्ञ	सदस्य			
27. प्रो. महेश बक्सी, प्राचार्य, धर्मपेठ पॉलिटेक्निक, नागपुर	सदस्य			
28. श्री महेश चन्द्र पंत, पूर्व अध्यक्ष, एनआईओएस	सदस्य			
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ढ):				
(नौ सदस्य राज्यों का प्रतिनिधि)				
29. शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, आंध्र प्रदेश,	सदस्य			
30. शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, कर्नाटक,	सदस्य			

31.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, मणिपुर,	सदस्य
32.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, असम,	सदस्य
33.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश,	सदस्य
34.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राजस्थान,	सदस्य
35.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, झारखंड,	सदस्य
36.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, महाराष्ट्र,	सदस्य
37.	शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, गुजरात,	सदस्य
धारा 3 की उपधारा (4) का खंड (ण):		
38.	प्रो. एम. वी. राजीव गौडा, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी—1 / 12, लोधी गार्डन, राजेश पाइलट मार्ग, नई दिल्ली—110003 (दिल्ली का पता) 1361, 9वां क्रॉस रोड़, जे.पी. नगर, प्रथम फेस, बंगलौर—560078 (स्थायी पता)	सदस्य
39.	डॉ. हरि बाबू कम्भम्पति, संसद सदस्य (लोक सभा), अशोक होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली—110021(वर्तमान पता) सी—2, ऐस्पेन हाइट्स, दसपल्ला हिल्स, विशाखापट्टनम—530003 (स्थायी पता)	सदस्य
40.	श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य (लोक सभा), अशोक होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली—110021 (वर्तमान पता) केसिनेनी भवन, पिन्नालवेरी स्ट्रीट, पुराने बस अड्डे के सामने, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश—520002 (स्थायी पता)	सदस्य
धारा ३	की उपधारा (4) का खंड (त):	
41.	श्री परेश भाई त्रिवेदी, प्राचार्य, बी.एम.कॉमर्स हाई स्कूल, भावनगर	सदस्य
42.	श्री ऋषि गोयल, प्राचार्य, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	सदस्य
43.	डॉ. राजीव पांड्या, प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुवासा, उज्जैन	सदस्य
		[फा. सं. 11—29 / 2016—ईई—10]
		अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

S.O. 959(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 3 read with section 4 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy No. S.O. 1109(E), dated the 1st May, 2013 except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby re-constitutes National Council for Teacher Education consisting of the following Members, namely:-

Clause (a) of sub-section (4) of section 3: 1. Dr. Santosh P. Mathew, IAS	Chairperson
Clause (b) of sub-section (4) of section 3:	
2. Vacant	
Clause (c) of sub-section (4) of section 3:	Member Secretary
3. Sh. Sanjay Awasthi, IRS	
Clause (d) of sub-section (4) of section 3:	
4. Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India	Member (ex-officio)
Clause (e) of sub-section (4) of section 3:	
 Chairman, University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a member thereof nominated by him 	Member (ex-officio)
Clause (f) of sub-section (4) of section 3:	
6. Director, National Council for Educational Research and Training, New Delhi	Member (ex-officio)
Clause (g) of sub-section (4) of section 3:	
7. Director, National Institute of Educational Planning and Administration, New	Member
Delhi	(ex-officio)
Clause (h) of sub-section (4) of section 3:	
8. Adviser (Education), Planning Commission	Member
	(ex-officio)
Clause (i) of sub-section (4) of section 3:	
9. Chairman, Central Board of Secondary Education	Member (ex-officio)
Clares (2) of such as all as (4) of such as 2.	(ex-officio)
Clause (j)of sub-section (4) of section 3: 10. Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development, Government of	Member
India	(ex-officio)
Clause (k) of sub-section (4) of section 3:	
11. Member-Secretary, All India Council for Technical Education, Delhi	Member
	(ex-officio)
Clause (I) of sub-section (4) of section 3:	Member
12. Chairperson, Eastern Regional Committee, Bhubaneshwar	(ex-officio)
13. Chairperson, Western Regional Committee, Bhopal	Member (ex-officio)
14. Chairperson, Southern Regional Committee, Bangalore	Member
	(ex-officio)
15. Chairperson, Northern Regional Committee, Jaipur	Member
	(ex-officio)
Sub-clause (i) of clause(m) of sub-section(4) of section 3:	
16. Prof. K.S. Likhia, Vice Chancellor, Children's University, Gandhinagar	Member
17. Dr. Ajit Kumar Pandey, Principal, P.B.T.T. College, Bhagalpur, Bihar	Member
18. Dr. Prem Narayan Singh, Prof. and Head, Deptt. of Education, Smapurnanad Sanskrit University, Varanasi U.P	Member
 Dr. Prof. Rama Mishra, School of Education, Devi Ahilya VishwaVidyalaya, Indore. 	Member

Sub-clause (ii) of clause(m) of sub-section (4) of section 3:				
20.	Dr. Dilip Manohar Senad, Prof. (Retd) in M.Ed. College, (Kasturba Shikshan Mahavidyalaya, Borgaon Meghe, Wardha), Flat No. 204, PP Tower, Manewada Chowk, Ring Road, Nagpur	Member		
Sub-cla	use (iii) of clause(m) of sub-section(4) of section 3:			
21.	Mrs. Shobhana Bhide, Vice President Managing Board N.S.P. Mandal, Nashik and Vice President – Dhruv Educational Trust	Member		
22.	Sh. Bharat Bagwanjibhai Dhokai, Niyamak, Kuchchh Kalyan Sangh, Gandhidham	Member		
23.	AshabenThanki, Shishuvatika Sanyojak, Vidya Bharti Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan	Member		
Sub-cla	use (iv) of clause(m) of sub-section (4) of section 3:			
24.	Prof. Dr. Medha Somaiya, Tata Chair Professor, TISS	Member		
25.	Shri Manoj Soni, Former Vice – Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat	Member		
Sub-cla	use (v) of clause (m) of sub-section (4) of section 3:			
26.	Shri Mohan Lal Sar, a Prominent Linguist and Kashmiri Language Expert	Member		
27.	Prof. Mahesh Baxi, Principal, Dharampeth Polytechnic, Nagpur	Member		
28.	Shri Mahesh Chandra Pant, Former Chairman, NIOS	Member		
Clause	(n) of sub-section (4) of section 3:			
(Nine M	Iembers to represent States)			
29.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Andhra Pradesh	Member		
30.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Karnataka	Member		
31.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Manipur	Member		
32.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State			
	Council of Educational Research and Training, Assam	Member		
33.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Uttar Pradesh	Member		
34.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Rajasthan	Member		
35.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Jharkhand	Member		
36.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Maharashtra	Member		
37.	Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Gujarat	Member		
Clause (o) of sub-section (4) of section 3				
38.	Prof. M.V. Rajeev Gowda, Member of Parliament (Rajya Sabha), C-1/12, Lodhi Gardens, Rajesh Pilot Marg, New Delhi – 110 003 (Delhi Address) 1361, 9 th Cross Road, J.P. Nagar, 1 st Phase, Bangalore – 560 078 (Permanent Address)	Member		
39.	Dr. Hari Babu Kambhampati, Member of Parliament (Lok Sabha), Ashok Hotel, Chanakyapuri, Delhi-110021 (Present Address) C-2, Aspen Heights, Dasapalla Hills, Visakapatnam – 530 003 (Permanent	Member		
40.	Address) Shri Srinivas Kesineni, Member of Parliament (Lok Sabha), Ashok Hotel, Chanakyapuri, New Delhi – 110021 (Permanent Address). Kesineni Bhawan, Pinnalavari Street, Opp. Old Bus Stand, Vijaywada, Andhra Pradesh – 520 002 (Permanent Address)	Member		

Clause (p) of sub-section (4) of section 3

Shri Paresh Bhai Trivedi, Principal, B.M. Commerce High School, Bhavnagar
 Shri Rishi Goel, Principal, Gita Niketan Awasiya Vidyalaya, Kurukshetra, Haryana

Member

43. Dr. Rajiv Pandya, Principal, Shasakiya Uchcha Madhyamik Vidyalaya, Suwasa, Ujjain

Member

[F. No. 11-29/2016-EE-10] AJAY TIRKEY, Jt. Secy.